

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
डी0डी0एम0ए0, रुद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 23 अगस्त, 2018

विषय:-

Construction of Proposed Various Residence Housing at kedarnath (Rudraprayag) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-919/DDMA/2015-16 दिनांक 30.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री केदारनाथ मन्दिर तक निर्माणाधीन मार्ग के संरेखण के मध्य आ रहे 03 तीर्थ पुरोहित आवासों को ध्वस्त किये जाने के उपरान्त नये भवन का निर्माण संरेखण से बाहर कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा तैयार किये गये भवनों की कुल लागत ₹242.22 लाख के प्रस्ताव/आगणन पर प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के आवासों के निर्माण कार्यों के प्रथम चरण की आंकलित धनराशि को रू0 14.69 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 2.95 लाख का व्ययभार का वहन एस0पी0ए0-आर0 की बचतों से किये जाने तथा भवनों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को नामित किये जाने के प्रस्ताव पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- शासनादेश संख्या-1241/XVIII-(2)/2018-04(12)/2016 दिनांक 15 मई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
- 2- उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या:-966/XVIII-(2)/2015-15(15)/2015 दिनांक 06.04.2015 एवं शासनादेश संख्या:-1425/XVIII(2)/2017-15(15)/2015 दिनांक 09.10.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- यह धनराशि आपदा, 2013 से हुयी क्षतियों के पुर्ननिर्माण के लिए स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के धनराशि का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा।
- 5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है एवं शासनादेश द्वारा कार्य की विशिष्टियों/मदों में परिवर्तन की स्वीकृति दी गयी है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
- 6- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट/योजना से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।
- 7- उक्त निर्माण कार्य हेतु यदि पूर्व में कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो सर्वप्रथम उसके समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाए।
- 8- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- 9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण कर ली जाएगी।
 - 10- कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
 - 12- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त किये गये कार्यों की फोटोग्राफ रखे जायेंगे। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। तदनुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाएगा।
 - 13- जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - 14- यदि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि व्यय की गई है, तो उसका समायोजन भी सुनिश्चित किया जाए।
 - 15- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख-रखाव तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 - 16- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
 - 17- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
 - 18- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
 - 19- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य सलिल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
 - 20- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-2019(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों को कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
 - 21- यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाए।
 - 22- प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये तदनुसार कार्यवाही की जाये।
 - 23- द्वितीय चरण की विस्तृत आगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये कि "प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके हैं"।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-08-एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
- 4- उक्त आदेश वित्त विभाग अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-519/150/XXVII(1)/2018 दिनांक 02,अप्रैल,2018 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- (1)/XVIII-(2)/18-4(12)/2016, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
- 7- निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 8- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- धन आवंटन संबंधी पत्रावली।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव